


सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत सुनीता टोप्पो पिता-स्व. बहादुर उराँव ग्राम: देवलगडा , थाना :टण्डवा जिला :चतरा (झारखण्ड) को सी वी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- सराढू थाना सं.-29 (रैयती भूमि) खाता सं.- 187 के अधीन प्लॉट सं. 712(P), 717(P), 721(P), 708(P), 572(P), 533(P), 578(P), 515(P); (गैरमजरुआ जंगल-झाड़ी भूमि) खाता सं.- 278, के अधीन प्लॉट सं. 516/8, 526/2, 516/2 क, 516/8; कुल रकबा: - 02.0006 एकड़ (रैयती भूमि = 1.3106 & गैरमजरुआ जंगल-झाड़ी भूमि = 0.69) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है ।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) सी.सी.एल, राँची एवं क्षेत्रीय महाप्रबंधक (मगध - संघमित्रा), सी.सी.एल, के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।


06.03.24